प्रेस नोट दिनांक- 28.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा पशु चोर गिरोह के 03 सदस्यों को चोरी की हुयी 01 ईको कार,अवैध गॉजा व अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा पशु चोर गिरोह के 03 सदस्यों को चोरी की 01 ईको कार,अवैध गॉजा व अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

<u>गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 27.02.2021 को थाना इकदिल पर पीडित रज्जाक द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 21.02.2021 को रात्रि में कुछ अज्ञात चोर मेरी पॉच बकरियों को चुरा ले गये है । जिस पर थाना इकदिल पुलिस द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 55/21 धारा 379 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया ।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.02.2021 को पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था को सुदृढ बनाए रखने हेतु गश्त कर रहे थे तभी पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 21.02.2021 को मौ0 गुलियात से जिन चोरों के द्वारा बकरियों को चुराया गया था। उसी गिरोह के 03 सदस्य बिरारी पुल के नीचे ईको कार में है जिसमें 02 बकरियॉ भी है । सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुची तो पुलिस टीम को पुल के नीचे ईको कार दिखाई दी जिसमें कुछ व्यक्ति सवार थे जिनके द्वारा पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया गया जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके कब्जे से 01 ईको कार व 02 बकरियों को बरामद किया । पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी लेने अभियुक्त 1. सोनू पुत्र राधेश्याम के कब्जे से 400 ग्राम गॉजा बरामद किया गया 2. अभियुक्त मिथुन के कब्जे से 01 चाकू बरामद किया 3. अभियुक्त प्रेमशंकर के कब्जे से 01 चाकू बरामद किया गया जिनके संबंध में अभियुक्तगण कुछ भी बताने मे असमर्थ रहे ।

पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ करने बताया कि यह बकरियॉ चोरी की है हम लोगो द्वारा दिनांक 21.02.2021 को थाना इकदिल के मौ0 गुलियात से 05 बकरियों को चोरी किया गया था। जिनमें से 03 बकरियों को हम लोगो द्वारा बेच कर आपस में पैसे बॉट लिए गए थे तथा आज हम लोग इन बकरियों को बेचने के लिए ले जा रहे थे । गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा गाडी

के कागज दिखाने में असमर्थता जाहिर की गयी । बरामद बकरियों को उसके वास्तविक स्वामी रज्जाक को बकरियों की पहचान कराकर सुपुर्द किया गया ।
उक्त बकरियों की बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 55/21 धारा 379 भादवि में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. सोनू पुत्र राधेकिशन निवासी महावीर नगर थाना इकदिल
2. मिथुन उर्फ मोहित पुत्र घनश्याम निवासी मो0 कुम्हारन थाना इकदिल
3. प्रेमशंकर उर्फ शालू पुत्र हजारीलाल निवासी मो0 कुम्हारन थाना इकदिल

<u>बरामदगी-</u>

1. 02 रास बकरियॉ (चोरी की हुयी)
2. 01 ईको कार यूपी 75 जेड 5301
3. 400 ग्राम गॉजा
4. 02 चाकू

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1. मु0अ0स0 55/21 धारा 379, 411 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा
2. मु0अ0स0 56/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम सोनू थाना इकदिल
3. मु0अ0स0 57/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मिथुन थाना इकदिल
4. मु0अ0स0 58/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम प्रेमशंकर थाना इकदिल

<u>पुलिस टीम-</u> श्री जीवाराम यादव प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल मय टीम ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा